पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –01 / 2013–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली में AICTE के मापदण्ड के अनुसार पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अतिरिक्त अद्यतन विशिष्टियों की 49 (उनचास) कम्प्यूटर एवं 1 (एक) प्रिंटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 31,95,000=00 (इकतीस लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली में AICTE के मापदण्ड के अनुसार पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अतिरिक्त अद्यतन विशिष्टियों की 49 (उनचास) कम्प्यूटर एवं 1 (एक) प्रिंटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 31,95,000=00 (इकतीस लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, वैशाली से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा। क्रय की गई मशीनरी / कम्प्यूटर / सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेगें। प्राचार्य इसे सत्यापित करेंगे। इनके रखरखाव की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय किये गए कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की सूची (विशिष्टियां सहित) एवं उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –01 / 2013– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –01/2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –01/2013– 206 /पटना, दिनांक– 15-1-019

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.19
सरकार के उप सचिव

15/01/19